40—(08)—45—2016

पटना में दिनांक—14 सितम्बर, 2016 बुधवार को अपराह्न 4:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :—

	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग		
1.	मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना से संबंधित मार्गनिर्देशिका के नियम 4 (VI) में संशोधन के संबंध में।	1.	स्वीकृत।
	नगर विकास एवं आवास विभाग		
2.	बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 की धारा—9 सह—पठित बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के नियम—9 के अधीन घोषित पटना आयोजना क्षेत्र को पटना महानगर क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट करते हुए इसके प्रयोजनार्थ पटना महानगर आयोजना समिति (Patna Metropolitan Planning Committee) के गठन की स्वीकृति के संबंध में।	2.	स्वीकृत।
	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग		
3.	बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम (एम॰एस॰डी॰पी॰) के तहत सीतामढ़ी एवं किशनगंज जिला में नवस्वीकृत पोलिटेकनिक संस्थानों में प्रति संस्थान 36 (छत्तीस) शैक्षणिक तथा 39 (उनचालिस) गैर शैक्षणिक पदों अर्थात कुल 72 शैक्षणिक तथा 78 गैर शैक्षणिक पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।	3.	स्वीकृत।
	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग		
4.	विभागान्तर्गत नवस्थापित राजकीय पोलिटेकनिक, बाढ़ (पटना) के लिए 36 (छत्तीस) शैक्षणिक तथा 39 (उनचालिस) गैर शैक्षणिक पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।	4.	स्वीकृत।
	वित्त विभाग		
5.	क्षेत्रीय कार्यालय एवं समाहरणालय, आशुलिपिक/ आशुटंकक संवर्ग के प्रोन्नति के तृतीय पदसोपान प्रधान आशुलिपिक/प्रधान आशुटंकक का वेतनमान निर्धारित करने के संबंध में।	5.	स्वीकृत।
	वाणिज्य—कर विभाग		
6.	बिहार वित्त सेवा संवर्ग के वाणिज्य—कर पदाधिकारी (वेतनमान् रू० 15600—39100+ग्रेड पे—5400) कोटि से वाणिज्य—कर सहायक आयुक्त (वेतनमान् रू० 15600—39100+ग्रेड पे—6600) कोटि में प्रोन्नति देने के संबंध में।	6.	स्वीकृत।

	स्वास्थ्य विभाग		
7.	डा० मो० इसरत हुसैन, चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा०स्वा०केन्द्र, कुचायकोट, गोपालगंज को लगातार 05 वर्षों से अधिक अनाधिकृत अनुपस्थिति के आरोप मे बिहार सेवा संहिता के नियम–76 के तहत सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव।	7.	स्वीकृत।
	स्वास्थ्य विभाग		
8.	आयुष प्रक्षेत्र के 219 आयुष चिकित्सकों/शिक्षकों (145 आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी, 52 यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी एवं राजकीय आर०बी०टी०एस० होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर के 22 होमियोपैथिक शिक्षकों) को प्रथम/ द्वितीय ए०सी०पी०/ प्रथम/ द्वितीय/तृतीय एम०ए० सी०पी० एवं प्रथम/ द्वितीय/तृतीय डी०ए०सी० पी० की स्वीकृति।	8.	स्वीकृत।
	श्रम संसाधन विभाग		
9.	बिहार कारखाना नियमावली, 1950 में संशोधन।	9.	स्वीकृत।
	विधि विभाग		
10.	महाधिवक्ता, बिहार के सरकारी आवास (आवासीय कार्यालय) के विद्युत विपत्र भुगतान हेतु अधिकतम प्रतिमाह 500 यूनिट बिजली निर्धारित किए जाने की स्वीकृति के संबंध में।	10.	स्वीकृत।
	गृह विभाग (विशेष शाखा)		
11.	गृह विभाग के योजना मद से "बिहार मंदिर चहारदीवारी निर्माण योजना" की स्वीकृति तथा वर्ष 2016 एवं उसके आगामी वर्षों में इस योजना के कार्यान्वयन के संबंध में।	11.	स्वीकृत।
	गृह विभाग (आरक्षी शाखा)		
12.	बिहार पुलिस सेवा के कुल 03 (तीन) अपर पुलिस अधीक्षकों को स्टॉफ ऑफिसर (पे०बैण्ड–4+ग्रेड वेतन रू० 8700) के पद पर प्रोन्नति की स्वीकृति के संबंध में।	12.	स्वीकृत।
	शिक्षा विभाग		
13.	बिहार राज्य में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण उच्च शिक्षा हेतु ऋण के लिए इच्छुक विद्यार्थियों के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	13.	स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

14.	डा० विजयेन्द्र कुमार, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, अति०प्रा०स्वा०केन्द्र, चेरो, सरमेरा, नालंदा को दिनांक–12.05.1997 से लगातार पाँच वर्षों से अधिक अनाधिकृत अनुपस्थिति के आरोप में बिहार सेवा संहिता के नियम–76 के तहत सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव।	**14.**	**स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

15.	डा० अभय कुमार सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा०स्वा०केन्द्र, नवहट्टा, रोहतास को दिनांक–01.08.2005 से लगातार पाँच वर्षों से अधिक अनाधिकृत अनुपस्थिति के आरोप में बिहार सेवा संहिता के नियम–76 के तहत सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव।	**15.**	**स्वीकृत।**

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

16.	बिहार मद्य निषेध और उत्पाद विधेयक, 2016 को दिनांक–02.10.2016 से प्रवृत्त करने हेतु अधिसूचित करने एवं राज्यपत्र में प्रकाशित कराने की स्वीकृति के संबंध में।	**16.**	**स्वीकृत।**

गृह विभाग
(विशेष शाखा)

17.	गोपालगंज जिले में दिनांक–16.08.2016 एवं 17.08.2016 को जहरीली शराब के सेवन की घटना के मृतकों के आश्रितों को मुआवजा भुगतान किये जाने के संबंध में।	**17.**	**स्वीकृत।**